

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 224 व/2021

वादीगण-

1. किशनसिंह पुत्र दुलसिंह
  2. महावीरसिंह पुत्र दुलसिंह
- जातियान-राजपूत, निवासीगण-मांगलोद, तहसील-जायल, जिला-नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. इन्द्रा कंवर पत्नी दुलसिंह
  2. इन्द्रसिंह पुत्र दुलसिंह
  3. महेन्द्रसिंह पुत्र दुलसिंह
  4. किरण कंवर पुत्री दुलसिंह
  5. सुमनकंवर पुत्री दुलसिंह
  6. संतोष कंवर पुत्री दुलसिंह
  7. बसु कंवर पुत्री दुलसिंह
- जातियान-राजपूत, निवासीगण-मांगलोद, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
8. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :-

1. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा वादीगण की ओर से
2. श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

निर्णय

दिनांक : 29/10/2021



वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बड़े की पुस्तैनी भूमि मौजा मांगलोद तहसील जायल में खेत खसरा नंबर 566 रकबा 1.8049 हैक्टेयर, खसरा नंबर 845 रकबा 1.7725 हैक्टेयर, खसरा नंबर 888 रकबा 1.7806 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा मौखिक तौर पर सम्वत् 2077 में वाद पत्र के पैरा संख्या 3 (क से ड) के अनुसार कर सिंव-नींव अलग-अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 किशनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 888 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से 1/2 रकबा 0.08903 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा रखा गया है। वादी संख्या 2 महावीरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 566 रकबा 1.8049 हैक्टेयर में से 1/2 रकबा 0.90245 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राकंवर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 845 रकबा 1.7725 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद

29/10/2021  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

का खेत खसरा नंबर 566 रकबा 1.8049 हैक्टियर में से 1/2 रकबा 0.90245 हैक्टियर उत्तरी हिस्सा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 888 रकबा 1.7806 हैक्टियर में से 1/2 रकबा 0.08903 हैक्टियर उत्तरी हिस्सा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 4 से 7 किरणकंवर, सुमनकंवर, संतोषकंवर, व बसुकंवर के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सीव-नीव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिर्कोर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने दिनांक 29.10.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कडवासरा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की पहचान अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 का सम्मन स्वयं से तामील होकर उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 8 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह महावीरसिंह पुत्र दुलसिंह के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम मांगलोद तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 160 प्रदर्श-1 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 8 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 29.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिर्कोर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा

अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकवाली जवाब दिनांक 29.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काशत होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा मांगलोद के वादग्रस्त खेतियों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतियों में पञ्जकारान द्वारा खसरा नं. 566, 845, 888 की भूमि का माफिक सहमति राजीनामा अनुसार बंट चाहा है। मुतदाविया खेतियों में से प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है ना ही अन्य कन्ही भूमि होने के साक्ष्य सबूत पेश किये है इससे मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है इसिलिये प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा मांगलोद के खेत खसरा नंबर 566, 845, 888 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 सहखातेदारों के द्वारा मुताबिक राजीनामा एवं सहमति से खेताय एवं हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

— :: आदेश :: —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मांगलोद के खेत खसरा नंबर 566, 845, 888 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 सहखातेदारों के द्वारा मुताबिक राजीनामा एवं सहमति से खेताय एवं हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

1. वादी संख्या 1 किशनसिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 888 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से 1/2 रकबा 0.08903 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 महावीरसिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 566 रकबा 1.8049 हैक्टेयर में से 1/2 रकबा 0.90245 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राकंवर के हक बंट कब्जा काशत में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 845 रकबा 1.7725 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 566 रकबा 1.8049 हैक्टेयर में से 1/2 रकबा 0.90245 हैक्टेयर उतरी हिस्सा रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 888 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से 1/2 रकबा 0.08903 हैक्टेयर उतरी हिस्सा रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 4 से 7 किरणकंवर, सुमनकंवर, संतोषकंवर, व बसुकंवर के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है इसिलिये प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जरिये तर्कनामा जमा करवाये जाने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



29/10/2021  
(रवीन्द्र कुमार)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई

(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्बा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,  
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 224 व/2021

वादीगण-

1. किशनसिंह पुत्र दुलसिंह
  2. महावीरसिंह पुत्र दुलसिंह
- जातियान-राजपूत, निवासीगण-मांगलोद, तहसील-जायल, जिला-नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. इन्द्रा कंवर पत्नी दुलसिंह
  2. इन्द्रसिंह पुत्र दुलसिंह
  3. महेन्द्रसिंह पुत्र दुलसिंह
  4. किरण कंवर पुत्री दुलसिंह
  5. सुमनकंवर पुत्री दुलसिंह
  6. संतोष कंवर पुत्री दुलसिंह
  7. बसु कंवर पुत्री दुलसिंह
- जातियान-राजपूत, निवासीगण-मांगलोद, तहसील-जायल, जिला-नागौर
8. तहसीलदार जायल जरिये सरकार



उपस्थिति :-


1. श्री मुन्नीलाल कडवासरा वादीगण की ओर से
2. श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मुन्नीलाल कडवासरा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 7 हाजरी श्री अम्बालाल पारासर अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 8 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मांगलोद के खेत खसरा नंबर 566, 845, 888 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 सहखातेदारों के द्वारा मुताबिक राजीनामा एवं सहमति से खेताय एवं हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

1. वादी संख्या 1 किशनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 888 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से 1/2 रकबा 0.08903 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 महावीरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 566 रकबा 1.8049 हैक्टेयर में से 1/2 रकबा 0.90245 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा रखा गया है।

  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

3. प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राकंवर के हक बंट कब्जा काशत में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 845 रकबा 1.7725 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 566 रकबा 1.8049 हैक्टेयर में से 1/2 रकबा 0.90245 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 888 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से 1/2 रकबा 0.8903 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 4 से 7 किरणकंवर, सुमनकंवर, संतोषकंवर, व बसुकंवर के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जरिये तर्कनामा जमा करवाये जाने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक ...29/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

29/10/2021  
(रवीन्द्र कुमार कलेक्टर)

सहायक कलेक्टर एवं उपाधीक्षक अधिकारी  
जायल (नागौर)

तीज - मुबलिंग - बाबत - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...29/10/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

29/10/2021  
(रवीन्द्र कुमार कलेक्टर)

सहायक कलेक्टर एवं उपाधीक्षक अधिकारी  
जायल (नागौर)